विकलांग जन विकास विभाग

उत्तर प्रदेश

विकलांग जन विकास विभाग की विगत
03 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

"बन रहा है आज, संवर रहा है कल"

विकलांग जन विकास विभाग

उत्तर प्रदेश

विकलांग जन विकास विभाग की विगत
03 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

निदेशक/सचिव, विकलांग
जन विकास विभाग
उत्तर प्रदेश

"बन रहा है आज, संवर रहा है कल"

विकलांग जन विकास विभाग की विगत 3 वर्षो की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- विकलांग व्यक्तियों को सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा "03 दिसम्बर, 2015" को "विश्व विकलांग दिवस" के अवसर पर प्रदान किया गया।
- उत्कृष्ट एवं बाधारहित वातावरण के लिए डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ को 03 दिसम्बर, 2014 "विश्व विकलांग दिवस" के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- विकलांगजन के समग्र विकास हेतु, "राज्य पुनर्वास नीति 2014" प्रख्यापित की गयी, जिसमें विकलांगजन के दैनिक जीवन से सम्बन्धित शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, पुनर्वास के साथ–साथ स्वास्थ्य, रोजगार, बाधारहित वातावरण, आवागमन सम्बन्धी सुविधाएं, विकलांगता का प्रमाण–पत्र, सामाजिक सुरक्षा आदि पर विशेष रूप से सुविधाओं का प्राविधान किया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विकलांगजन की अपेक्षाओं का सम्मान करते हुए "विकलांग कल्याण विभाग" का नाम परिवर्तित कर "विकलांग जन विकास विभाग" किया गया।
- विकलांग जन को विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया का सरलीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के समक्ष विकलांग जन को जाने की बाध्यता को समाप्त कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांग जन को स्पष्ट दिखाई देने वाली विकलांगताओं के विकलांग प्रमाण पत्र जारी कराने की व्यवस्था कराई गयी।
- डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय विकलांग विश्वविद्यालय के परिसर में मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण केन्द्र की स्थापना की गयी है। जहाँ पर विकलांगजन को कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है।
- कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुल 18,292 विकलांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।
- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक विकलांगजन को आच्छादित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 03 वर्षो में 1,43,359 नवीन विकलांगजन को विकलांग पेंशन स्वीकृत कर लाभान्वित किया। विकलांग पेंशन से नवीन लाभान्वित किये गये विकलांगजन में 21,163 अल्पसंख्यक समुदाय के विकलांगजन को लाभान्वित किया गया। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 5800 चयनित लोहिया ग्रामों में कुल 61,008 विकलांगजन को विकलांग पेंशन से लाभान्वित किया गया है।
- शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 4,102 विकलांगजन को लाभान्वित किया गया है।
- समाज में निराश्रित मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके दैनिक जीवन–यापन को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैछिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था कराई गयी है।
- विभाग द्वारा डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हापर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा सहायता दी जाती है। शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत विगत 03 वर्षो में 1565 विकलांगजन को लाभान्वित किया गया।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रिन्ट कराने के लिए ब्रेल प्रेस की स्थापना जनपद लखनऊ में की गयी।
- विकलांगजन को विभिन्न कार्यों के लिए आने–जाने की सुविधा देने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण–पत्र धारक को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। तीन वर्षो में कुल रू0 98.33 करोड़ का भुगतान परिवहन निगम को किया गया।
- विकलांग कर्मचारियों को अपने आवास से कार्य–स्थल पर आने और निवास तक वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत विकलांगजन कार्मिकों को पूर्व से अनुमन्य वाहन भत्ता की दरों में वृद्धि करते हुए वाहन भत्ता की दर दोगुनी करने का शासनादेश निर्गत किया गया।
- मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश तथा छात्रावास में आवास एवं भोजन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।
- दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं अस्थिबाधित श्रेणी के विकलांग विद्यार्थी अभी तक अपनी विकलांगता के अनुसार अलग–अलग विशेष विद्यालयों में अध्ययन करते थे जिनमें छात्रावास एवं बाधारहित वातावरण की सुविधा सामान्य विद्यालयों में न होने को दृष्टिगत रखते हुए अब एक छत के नीचे इन श्रेणी के विद्यार्थियों को सामान्य छात्रों के साथ इण्टरमीडिएट स्तर तक की विशेष शिक्षा, विभाग के समेकित माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाधारहित वातावरण से युक्त आवासीय विद्यालयों की स्थापना जनपद औरैया, कन्नौज, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया एवं आजमगढ़ में की जा रही है।
- दृष्टिबाधित बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से जनपद सहारनपुर, लखीमपुर खीरी एवं जनपद मिर्जापुर में एक–एक नवीन राजकीय स्पर्श बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की जा रही है।
- प्रदेश में अभी तक मूक–बधिर विद्यार्थियों के लिए कोई भी इण्टरमीडिएट स्तर का विद्यालय न होने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में मूक–बधिर बालकों का एवं जनपद गोरखपुर में बालिकाओं का पहला राजकीय मूक–बधिर इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- मानसिक विकलांगजन के शिक्षण हेतु जनपद इलाहाबाद में ममता विद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 03 से 06 वर्ष के दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मानसिक मंदिता से प्रभावित बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षित करने के उद्देश्य से 08 बचपन डे केयर सेन्टर संचालित हैं, जिनके सफल संचालन एवं विकलांग बच्चों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष प्रदेश के 10 मण्डलीय जनपदों में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 1,37,682 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

"बन रहा है आज, संवर रहा है कल"